सुप्रीम कोर्ट ने पूछा - क्या महिला को मिल सकता है तीन तलाक स्वीकार ना करने का अधिकार?

तीन तलाक सुनवाई

नईदिल्ली: सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एआईएमपीएलबी से पूछा कि क्या ये मुमकिन है कि हम महिला को यह अधिकार दे दिया जाए कि वह तुरंत तौर पर दिये गये तलाक को स्वीकार ना करें। इस क्लॉज़ को निकाहनामा में भी शामिल किया जा सकता है। जिसमें कहा गया है कि तीन तलाक के तुरंत बाद भी शादी नहीं टूट सकती है। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को तभी लागू किया जा सकता है जब काज़ी इस मुद्दे को जमीनी स्तर तक लागू करें, हालांकि ए आई एम पी एल बी की ओर से युसुफहातिम ने कहा कि ए आई एम पी एल बी की एडवाइजरी को मानना सभी काज़ी के लिए जरूरी नहीं है। हालांकि वे हमारे सुझाव को मान सकते हैं। बोर्ड ने कोर्ट को 14 अप्रैल 2017 को पास किये गए एक फैसले के बारे में भी बताया, जिसमें कहा गया था कि ट्रिपल तलाक के एक पाप है, और ऐसा करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि तीन तलाक का पिछले 1400 साल से जारी है। अगर राम का अयोध्या में जन्म होना, आस्था का विषय हो सकता है तो तीन तलाक का मुद्दा क्यों नहीं। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस्लाम धर्म ने महिलाओं को काफी पहले ही अधिकार दिये हुए हैं, परिवार और पर्सनल लॉ संविधान के तहत हैं, यह व्यक्तिगत आस्था का विषय है, जस्टिस कुरियन जोसेफने जब कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या कोई ई-तलाक जैसी भी चीज है।

लाएंगे नया कानून-केन्द्र

इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह समय की कमी के कारण सिर्फ तीन तलाक के मुद्दे पर ही सुनवाई करेगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि बहुविवाह और निकाह हलाला के मुद्दे पर भी सुनवाई का रास्ता भविष्य के लिए खुला है, केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि अगर शीर्ष अदालत तीन तलाक सहित तलाक के सभी तरीकों को निरस्तर कर देती है तो मुस्लिम समाज में शादी और तलाक के नियमन के लिए नया कानून लाया जाया जाएगा। केंद्र ने यह भी आग्रह किया कि बहुविवाह और निकाह हलाला के मुद्दों को मौजूदा सुनवाई से अलग नहीं किया जाना चाहिए, इस पर सर्वोच्च अदालत ने भरोसा दिया कि ये सभी पहलू अपनी जगह मौजूद हैं और इन पर बाद में गौर किया जाएगा।

क्यों नहीं खत्म कर सकते तीन तलाक?

सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर सऊदी अरब, ईरान, इराक, लीबिया, मिस्र और सूडान जैसे देश तीन तलाक जैसे कानून को खत्म कर चुके हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा, अगर अदालत तुरंत तलाक के तरीके को निरस्त कर देती है तो हम लोगों को अलग-थलग नहीं छोड़ेंगे, हम मुस्लिम समुदाय के बीच शादी और तलाक के नियमन के लिए एक कानून लाएंगे। आपको बता दें कि ट्रिपल तलाक को लेकर 11 मई से सुनवाई चल रही है, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम सिर्फ ये समीक्षा करेंगे कि तलाक-ए-बिद्दत यानी एक बार में तीन तलाक और निकाह हलाला इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग है या नहीं, कोर्ट इस मुद्दे को इस नजर से भी देखेगा कि क्या तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं के मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं। जारी है अभी भी सुनवाई।

मुख्यमंत्री ने केमिकल फैक्ट्री में हुए हादसे की जांच के निर्देश दिए

औद्योगिक इलाकों में रसायन फैक्ट्रियों की छापामार शैली में जांच शुरू

न्यायसाक्षी@रायगढ़। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राजधानी रायपुर के भनपुरी इलाके में कल एक केमिकल पेन्ट फैक्ट्री में हुए विस्फोट में तीन लोगों की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए मामले को गंभीरता से लिया है। उनके निर्देश पर घटना की दण्डाधिकारी जांच का निर्णय लिया गया है और छापामार शैली में इस प्रकार के सभी रसायन उद्योगों की जांच भी शुरू कर दी गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ओ.पी.चौधरी ने कल हुई इस औद्योगिक दुर्घटना की दण्डाधिकारी जांच का आदेश आज यहां जारी कर दिया। जिला दण्डाधिकारी ने डिप्टी कलेक्टर सुश्री शीतल बंसल को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच अधिकारी द्वारा फैक्टरी में विस्फोट के कारणों तथा सुरक्षा उपायों की सहित अन्य पहलुओं की विस्तृत जांच की जाएगी।

मुख्यमंत्री से श्री भूपेश बघेल और प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात

कुरूडीह जमीन मामला

न्यायसाक्षी@रायगढ़। मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने आज शाम यहां मंत्रालय, महानदी भवन, में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल को विश्वास दिलाया कि कुरूडीह के जमीन के मसले पर निष्पक्ष और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा अभिलेख में अभी यह जमीन शासकीय है। मामले का निराकरण कानूनी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

बाबरी मस्जिद केस

बड़े नेताओ को अपराध साबित होने पर हो सकती है सजा

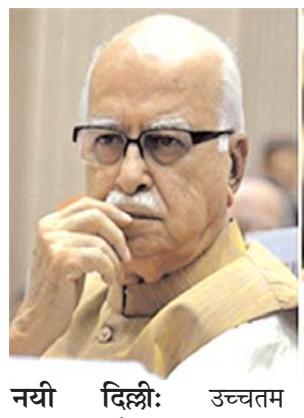

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार, 19 अप्रैल को आपराधिक साजिश के अपराध को बहाल किया था, जिसके बाद राजनीतिक रूप से संवेदनशील बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा के दिग्गज नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और अन्य वीवीआईपी पर जिन आरोपों में सुनवाई होनी है, उनमें दो से पांच साल तक के कारावास की सजा का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार 19 अप्रैल को आपराधिक साजिश के अपराध को बहाल किया, यह आरोप इस मामले में उन पर लगे आरोपों में वास्तविक रूप से शामिल था। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता भादंसं के अपराधों के तहत सुनवाई होगी जिनमें धर्म आदि के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच कथित रूप से वैमनस्य बढ़ाना, राष्ट्रीय एकता के लिए नुकसानदेह बयान टिप्पणियां करना और सार्वजनिक नुकसान वाले बयान देना शामिल है, इन अपराधों के लिए भादंसं में अधिकतम पांच साल के कारावास की सजा का प्रावधान है। धर्म का अपमान करने की मंशा से किसी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने के आरोप में अधिकतम दो साल की सजा जबकि धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करके किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने की मंशा से द्वेषपूर्ण कृत्य में अधिकतम तीन साल के कारावास की सजा का प्रावधान है। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए भाजपा के नेताओं लालकृष्ण आडवाणी और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप को बहाल कर दिया है। इस मामले में हुई घटनाओं का घटनाक्रम इस प्रकार है :

दिसंबर 1992: मामले में दो प्राथमिकियां दर्ज हुई, एक प्राथमिकी मस्जिद ढहा जाने के लिए अज्ञात कारसेवकों के खिलाफ दर्ज की गई, दूसरी प्राथमिकी में भाजपा के नेताओं आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अन्य को ढांचा गिराए जाने से पहले कथित तौर पर सांप्रदायिक भाषण देने के लिए नामजद किया गया।

अक्तूबर 1993: सीबीआई ने आडवाणी और अन्य पर साजिश का आरोप लगाते हुए एक समग्र आरोप पत्र दायर किया।

चार मई 2001: विशेष सीबीआई अदालत ने आडवाणी जोशी उमा भारती बाल ठाकरे और अन्य के खिलाफ कार्यवाही बंद की।

दो नवंबर 2004: सीबीआई ने भाजपा के नेताओं के खिलाफ कार्यवाही बंद किए जाने को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ के समक्ष तकनीकी आधार पर चुनौती दी।

20 मई 2010: उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज की और कहा कि सीबीआई की पुनर्विचार याचिका में कोई दम नहीं।

फरवरी 2011: सीबीआई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंची, छह मार्च 2017, उच्चतम न्यायालय ने संकेत दिया कि वह बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा के नेताओं के खिलाफ साजिश के आरोप को बहाल करने पर विचार कर सकता है।

21 मार्च 2017: उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए ताजा प्रयासों का सुझाव दिया।

छह अप्रैल 2017: उच्चतम न्यायालय ने समयब तरीके से मामले की सुनवाई पूरी करने को कहा और सीबीआई की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा।

19 अप्रैल 2017: उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में आडवाणी जोशी और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री उमा भारती के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप को बहाल किया और अति विशिष्ट लोगों और कारसेवकों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई को एकसाथ जोड़ दिया।

लापता बालक बालिकाओं को तलाश करने का अभियान

न्यायसाक्षी@रायगढ़। अरसे से लापता एवं अपहृत बालक बालिकाओं की तलाश करने का विशेष अभियान दिनांक 15 मई से 15 जून तक चलाया जा रहा है इस सिलसिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री बी.एन.मीणा ने आज संबंधित थाना प्रभारियों, महिला बाल विकास, खेल एवं युवक कल्याण, श्रम विभाग, समाज कल्याण तथा चाइल्ड लाइन से जुड़े सर्व संबंधितों की बैठक आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय म संपन्न हुई। बैठक में अपहृत बालक बालिकाओं के दस्तयाबी हेतु 55 सदस्यीय जिला स्तरीय टीम का गठन किया गया। जिले में अब तक के अपहृत लापता बालक बालिकाओं की सूची स्थानीय पैरालीगल वालेंटियर्स, महिला एवं बाल विकास, श्रम समाज कल्याण विभाग को भी जानकारी साझा करते हुए दस्तयाबी किए जाने की रणनीति बनाई गयी। बैठक में निर्णय लिया गया अपने एवं लापता बालक बालिकाओं के ऐसे प्रकरण जिनकी 120 दिनों तक पतासाजी नहीं मिल पाती ऐसे प्रकरण अनुसंधान हेतु ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सेल को दिया जाए जिसका पर्यवेक्षण किया जावेगा।

दुर्घटनाए -चिकित्सक घायल, कार चालक घायल

न्यायसाक्षी@रायगढ़। जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गये हैं। जिन्हे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार पहली घटना में पीएचसी बर्रा जोबी में प्रभारी चिकित्सक के पद पर कार्यरत डॉ. मनोज त्रिपाठी, उम्र 44 वर्ष, 5 मई को पीएचसी बर्रा से मिटिंग में सम्मिलित होने के लिये अपने मोटर सायकल से रायगढ आ रहे थे कि करीब मेन रोड ग्राम तरकेला पावरग्रिड के पास बोलेरो वाहन नम्बर सीजी13 यूजी113 के चालक ने डॉ. त्रिपाठी को ठोंकर मारकर दिया, जिससे डॉ. त्रिपाठी की बांये पैर की चार उंगली कटकर अलग हो गया तथा बांये पिंडली में चोंट आया है । डॉ. त्रिपाठी का ईलाज संजीवनी अस्पताल में किया जा रहा है। **दूसरी घटना** में ग्राम झरन थाना लैलूंगा निवासी सुखरूराम सारथी उम्र 40 वर्ष ड्रायवरी करता है । 15 मई को सुखरूराम सारथी डस्टर वाहन लेकर छाल आया था। सुबह छाल से वापस लैलूंगा जाते समय देउरमार के पास में घरघोडा तरफ से आ रही ट्रेलर वाहन सीजी12 सी 3371 का चालक ने डस्टर वाहन को सामने से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया। जिससे डस्टर वाहन रोड किनारे पलट गई गाड़ी का सामने का भाग क्षतिग्रस्त हो गया है। एक्सीडेंट से सुखराम सारथी के मुंह ओंठ के पास व सीने में चोंट आई है।

पिता ने की पुत्र की निर्मम हत्या, गिरफ्तार

न्यायसाक्षी@रायगढ़। लैलूंगा नहर पारा वार्ड क्र. 6 में रहने वाले बोधराम सारथी, उम्र 48 वर्ष, ने 15 मई की रात्रि मामूली विवाद को लेकर अपने एकलौते लड़के राजू सारथी उम्र 24 वर्ष के गले में टांगिया से मारकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

चलती कार धू धू कर जल उठी

न्यायसाक्षी@रायगढ़। मारुती डिजायर कार जो मेकेनिक जावेद खान रायगढ़ की बतायी जाती है, रायगढ़ से खरसिया जा रही थी, कि चपले के पास अकस्मात दोपहर 1 बजे कार के पिछले हिस्से से आग की लपटे उठने लगी ओर देखते ही देखते उसने कार को अपनी चपेट में ले लिया कार में उस वक्त तीन लोग सवार थे, जो किसी तरह बाहर निकले और जान बचायी मामले में शाट सर्किट के कारण आग लगना बताया जा रहा है। कार का नम्बर सीजी13 वीडी 3241 है।

अपहृत युवक, तारापुर में मिला

न्यायसाक्षी@रायगढ़। थाना खरसिया अन्तर्गत ग्राम सोण्डका में रहने वाले 25 वर्षीय युवक पप्पू तरूण कुमार सिदार उम्र करीब 25 वर्ष को 15 मई के 04.00 बजे शाम अज्ञात चार व्यक्तियों ने बोलेरो वाहन में बिठाकर रायगढ की ओर ले आये जो कोतरारोड अन्तर्गत ग्राम तारापुर के पुलिया के पास घायल अवस्था में मिला। जिसे के.जी.एच. रायगढ में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत सामान्य है । घटना के संबंध में थाना खरसिया में अज्ञात चार व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 365,34 भा.दं.वि. दर्ज कर विवेचना में लिया गया है ।

क्राइम ब्रांच, कोसीर थाने की कार्यवाही

न्यायसाक्षी@रायगढ़। कोसरी पुलिस ने अलग अलग स्थानों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गये आरोपियों के पास से लाखों रूपए की संपत्ति भी बरामद किया गया है।

ट्रेन से कूदी लड़की

न्यायसाक्षी@रायगढ़। आज उस समय कोहराम मच गया जब टाटा बिलासपुर पैसेंजर ट्रेन से एक युवती ने छलांग लगा दी। आनन फानन में जंजीर खींच कर ट्रेन को रोका गया और यात्रियों के दल ने उसे खोजबीन की तो एक किमी दूर गंभीर रूप से घायल युवती ने आवाज दे कर लोगों को बताया की वो जिंदा है। घायल युवती शिनाख्त नहीं हो सकी है। यह हादसा आज सुबह साढे पांच बजे के लगभग हुआ टाटा बिलासपुर पैसिंजर जैसे ही झाराडीह स्टेशन से निकली कि ट्रेन में चीखपुकार मच गई। दो युवकों ने बताया कि एक युवती ट्रेन से कूद गई,जिसे बाद में गंभीर हालात में एडमिट किया गया।

सेफ्टी अधिकारी, शिफ्ट इंचार्ज पर प्रकरण दर्ज

न्यायसाक्षी@रायगढ़। अंजनी स्टील प्लांट में 9 मई को कोड़तराई में रहने वाला धवल कुमार पटेल उम्र 31 वर्ष का रोलिंग मशीन में काम करते समय प्लांट का सिर किलन मशीन और रोलिंग मशीन के बीच आ जाने से मौत हो गया गया था । मामले में मर्ग जांच पर मशीनरी वस्तु रोलिंग मशीन में बिना सुरक्षा व्यवस्था के सेफ्टी अधिकारी योगेश उपाध्याय एवं शिफ्ट इंचार्ज धनेश्वर लाल यादव द्वारा उपेक्षा पूर्वक कार्य कराने से घटना घटित होना पाये जाने पर दोनों के विरूद्ध धारा 287, 304, 34 आई. पी. सी. दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

माईंनिग के छापे से रेत माफियाओ मे हड़कम्प

न्यायसाक्षी@रायगढ़। खनिज विभाग की टीम ने आज रेत माफियाओ के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुये ठाकुर पोड़ी में मांड नदी में छापा मारकर 3 ट्रेक्टरों को रेत का अवैध परिवहन करते पकड़ा जिनको ग्राम पंचायत ठाकुर पोड़ी, थाना कापू परिसर में सरपंच के सुपुर्द में दिया गया है। इस कार्यवाही में खनिज निरीक्षक अनिल साहू भरत लाल बंजारे,सुपरवाइज़र सुनीलदत्त शर्मा शामिल थे। खनिज विभाग के छापे से अवैध कार्य करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ दिन पहले ही माईंनिग विभाग ने अवैध पत्थर उत्खन्न करने वालो को शिकंजे मे कसा था। उसके बाद इस कार्यवाही ने रेत माफियाओ के हौसले पस्त होने की उम्मीद है।

टोनही प्रताड़ना के 9 आरोपियों को 3-3 वर्ष की कैद

बिलासपुर। न्यायालय ने ग्रामीण को टोनहा कहकर प्रताड़ित करने और खुदकुशी के लिए मजबूर करने के 9 आरोपियों को 3-3 वर्ष कैद की सुनाई है। साथ ही अर्थदंड लगाया है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के वेद परसदा में 14 अप्रैल 2007 की रात पंचायत बुलाई गई। आरोपी सरपंच पति रामकुमार पिता टेगनू मेहर, अजय सिंह पिता जयराम सिंह, मनमोहन दास पिता लालदास, पुत्तन दुबे पिता धनेश्वर , प्रेम दास पिता लालदास, देवनाथ पिता कुन्जराम बरेठ, मुकेश पिता भुरवा बरेठ, जगमोहन पिता लालदास एवं शंकर लाल साहू पिता पितई लाल ने गांव में रहने वाले पुनीराम केवंट को टोनहा और उसकी बहन धनिया बाई को टोनही कहते हुए अपमानित किया। आरोपियों ने पुनीराम पर 5 हजार और धनिया बाई पर 500 रुपए अर्थदंड लगाया। पुनीराम ने अर्थदंड का भुगतान कर दिया। अगली सुबह उठकर वह घर से बाहर निकला। गांव के बाहर उसकी फांसी में लटकी लाश मिली। मस्तूरी पुलिस ने धारा 384 एवं धारा 5 टोनही प्रताड़ना एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रतीक्षा शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। न्यायालय ने अपराध सिद्ध होने पर आरोपियों को 3-3 वर्ष कैद, तीन आरोपियों पर 1000-1000 रुपए और शेष पर 500-500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

खाईवाल पकड़ाया, कोतवाली पुलिस की कार्यवाही

न्यायसाक्षी@रायगढ़। कोतवाली पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान केवड़ाबाड़ी बस स्टैण्ड के बाहर चाय ठेला चलाने वाले लक्ष्मी नारायण बरेठ को सट्टा पट्टी लिखते पकड़ा गया है। आरोपी के पास से नगदी 4360 रू एवं एक नीली स्याही वाली डाट पेन तथा कागज में लेख लाखों रूपये के सट्टा पट्टी जप्त की गई है। आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली रायगढ में धारा 4 क सट्टा अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है । वहीं आज तमनार के बस स्टेंड के बेहरा पान सेंटर के पास सटटा खिलाने की सूचना पर थाना प्रभारी एस.एन.सिंह व स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर दबिश दिया गया और आरोपी ऋषि बेहरा, के पास सें नगदी रकम 8860रू, एक पेन, सट्टा पर्ची अंक लिखी हुई 68 पट्टियों कों जप्त किया गया है ।

कोर्ट जाऐगे BSF के बर्खास्त जवान तेजबहादुर

नइ दिल्ला: खराब खान को लेकर सुर्खियों में आए बीएसएफ के जवान को बर्खास्त करने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, विरोधी दलों ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और आरोप लगाए हैं कि सरकार लोगों से बोलने की आजादी छीन रही है, उधर बर्खास्त जवान ने अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। बता दें कि जम्मू के पूंछ में एलओसी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के एक जवान तेज बहादुर यादव ने इस साल की शुरुआत में अपने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने सीमा पर तैनात जवानों को दिए जा रहे खराब खाने को जनता को दिखाया था। वीडियो वायरल होते ही केंद्र सरकार ने इस मामले पर जांच बैठा दी थी, बीएसएफने अपनी जाच म यादव की शिकायतों को खारिज कर दिया था, उल्टा सेना ने तेजबहादुर के खिलाफ अनुशासन तोड़ने की जांच शुरू कर दी थी, पिछले दिनो सेना ने इस जवान को बर्खास्त कर दिया। सेना से बर्खास्त होने के बाद तेजबहादुर गुरुवार को हरियाणा के रेवाड़ी स्थित अपने घर पहुंचे, उन्होंने कहा कि वे इंसाफ की लड़ाई जारी रखेंगे और सेना के इस फैसले के खिलाफ सरकार और कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, उन्होंने कहा कि पहले उन्हें पेंशन और रिटायरमेंट के कागजात तैयार करने के लिए कहा गया, लेकिन अब

बर्खास्त कर दिया, अब उन्हें पेंशन आदि का लाभ नहीं मिलेगा, तेज बहादुर का ये भी दावा है कि उन्हें 3 जवानों का सपोर्ट है, लेकिन साथ आएंगे तो उन पर भी कार्रवाई हो जाएगी।

उधर, तेजबहादुर पर की गई इस कार्रवाई को लेकर राजनीति में भी विरोध के सुर उठने लगे हैं, इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि सेना के अपने अलग कायदे-कानून होते हैं, उनका अलग अनुशासन होता है, वे इस मामले का अध्ययन करने के बाद ही कुछ कहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने इसे सरकार का सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक कहा है, उन्होंने कहा कि तेज बहादुर ने व्यवस्था पर सवाल उठाया था, उल्टा उसे बर्खास्त कर दिया गया, व्यवस्था की पोल खोलने वाले एक सैनिक पर सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया।

जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने कहा कि चुपचाप सरकार के नाम की माला जपते रहो अगर किसी ने सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत की तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोगों से बोलने की आजादी छीन रही है।